

## प्रेषक,

पी०के०पा०ओ,  
अपर भारतीय,  
चतुरशास्त्रज्ञ सासन।

## सेवा में

अपर प्रमुख बन संस्करक/नोडल अधिकारी,  
बन भूमि हस्तातरण, इन्डिया नगर,  
फारेस्ट कालानी देहसदून।

## देहसदून एवं पर्यावरण बनुपाय-५

दिवक: जनपद देहसदून में शासी से कुल्हा मोटर मार्ग के विस्तार हेतु ३.१५ हेतु सिविल बन भूमि का गैर यानिकी कार्या हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने की संदेश देहसदून में।

## महोदय

सपरीया विषयक आपके पत्र संख्या-३०५०/१३ी/FP/UK/ROAD/8763/2014 दिनांक २७ अप्रैल, २०१५ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निवेदा हुआ है कि श्री शास्त्रात्मक जनपद देहसदून में शासी से कुल्हा मोटर मार्ग के विस्तार हेतु ३.१५ हेतु सिविल बन भूमि का गैर यानिकी कार्या हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने की संदेश देहसदून में। संदेश देहसदून दिनांक ३० अप्रैल, २०१५ हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

१. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बन विभाग के पश्च में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ६.३०, हेतु सिविल सेवम भूमि पर शांतिपूर्ण घृष्णों का यथोचित वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक खस्तखात हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान देतन दरों को समानित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि बन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे बन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छ: माह में आस्तिन/संरक्षित बन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त गूर्ज़ होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही संदेशिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
२. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुतिक रूप से आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार यथोचित घृष्णों का वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक ख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान देतन दरों को समानित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
३. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० की यथोचित धनराशि जमा की जायेगी।
४. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जाननीय उत्तरात्मन न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अंतर्गत आईए०सी०-८६८ एवं भारत सरकार पत्र स०-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार गुद्ध वर्तमान भूमि (एन०पी०वी०) की निर्धारित राति जमा की जायेगी।
५. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सम्बन्ध स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बदी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
६. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ६-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण नियम प्रबोधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०वी०-२५२२९, कापरिशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), स्टाक-११ भूतल सीपी०वी० का पाप्टैक्स, फेज-१, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में जमा करने के उपरांत ही पावती की यथाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आँखा (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, शांतिपूर्ण घृष्णारोपण प्रस्तावित स्थित के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देश धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
७. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यवल की संस्थानियों एवं मू-यैज्ञानिक के सुझाओं का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

मेरि

देहसदून: दिनांक: ३० अप्रैल, २०१५

8. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार आधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को संप्रत्यक्ष कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति यो निरस्त करने का अधिकार सुनिश्चित है।
10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्णय की जायेगी।

भवदीय,

(प्र०क०ग्रामी)

अपर सचिव।

मुल्क

संख्या: ३/४ (1) X-4-25/1(146)/2015, तदनिवित्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्रेहित।

1. अपर प्रमुख वन संस्करक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, एफ०आर० आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संस्करक, यमुना बूल, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, चक्रशता वन प्रभाग कालसी।
6. अधिकारी अधिकारी, लोडनिविठ कालसी, देहरादून।
7. गार्ड फार्मल।

आज्ञा से

(श्याम सिंह)

उप सचिव।

मुल्क